

लोक सुनवाई का वृत्त।

मेसर्स एकसेंट मिनमेट रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक-श्री नरेंद्र सिंह, पिता-स्वर्गीय श्योदत्त सिंह, जी.ई.-16, सिटी सेंटर, सेक्टर-4, बोकारो, झारखंड द्वारा भोजपुर सोन-34 बालू घाट, मौजा-धौरी, ब्लॉक-सहार, जिला-भोजपुर के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत दिनांक 31.07.2023 को अपराह्न 03:00 बजे अंचल कार्यालय सहार, जिला-भोजपुर में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं०-एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2328/2023, dated 24.03.2023 के आलोक में श्री मनोज कुमार झा, अपर समाहर्ता, भोजपुर (जिला पदाधिकारी, भोजपुर के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 31.07.2023 को अपराह्न 03:00 बजे भोजपुर सोन-34, अंचल कार्यालय सहार, जिला-भोजपुर में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

इस लोक-सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण के माध्यम से दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक-सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री रवि रंजन कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा। वाहनों पर ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू-जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (860 नं०) का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sustainable Sand Mining

Management Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः है:-

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री सुधीर कुमार सिंह, पिता-स्व० भवसागर सिंह, ग्राम-धौरी, जिला-भोजपुर।	<p>इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू खनन के दौरान प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण के लिये सुझाए गये उपाये के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक आदमी (सरकारी पदाधिकारी) को नियुक्त किया जाय और स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाय।</p> <p>अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचित किया गया कि भोजपुर जिला में 34 बालू घाट हैं, हरेक बालू घाट पर सरकारी पदाधिकारी की नियुक्ति संभव नहीं है। हरेक जिले में खनन पदाधिकारी, माईनिंग इन्सपेक्टर होते हैं, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद के पदाधिकारी भी है, इनके द्वारा निगरानी की जायेगी। अनियमितता पाये जाने पर संवेदक पर नियमानुसार कारवाई की जायेगी।</p>
2.	श्री अनिल कुमार सिंह, ग्राम-धौरी, जिला-भोजपुर।	<p>इनके द्वारा बताया गया कि बालू खनन परियोजना में गरीब लोग काम करते हैं। उन लोगों को पीने का पानी, रहने एवं आराम करने के लिए अच्छा व्यवस्था होना चाहिए।</p>
3.	श्री मंजय सिंह, ग्राम-धौरी, जिला-भोजपुर।	<p>इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन परियोजना में घाट से कितने दूरी तक पेड़ लगाये जायेंगे।</p> <p>पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि घाट से मुख्य सड़क तक पहुँच-पथ में दोनों ओर पेड़ लगाये जायेंगे। इच्छुक स्थानीय ग्रामीण को संवेदक द्वारा निःशुल्क पेड़ उपलब्ध कराया जायेगा, वे अपनी इच्छा के अनुसार अपने रैयती जमीन में पेड़ लगा सकते हैं।</p>

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि इस घाट के नजदीक स्कूल पड़ता है। संवेदक इस बात को ध्यान दे कि उस जगह पानी का छिड़काव नियमित रूप से किया जाय। ट्रैक्टर से लदा गाड़ी का परिवहन तिरपाल से ढक्कर किया जाय एवं हार्न कम-से-कम बजाया जाय।

वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेंगे एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढक कर ही ले जायेंगे। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेंगे। प्रायः देखा जाता है कि बालू से लदे ट्रक को तिरपाल से ढक्कर ले जाया जाता है, परन्तु बालू लदे ट्रैक्टर को तिरपाल से नहीं ढका जाता है। उन्होंने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

जन-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सक्षम प्राधिकार को भेजने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

nr
4-8-43
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्सद,पटना

अपर सहायता
भोजपुर

19.	सुधी सुधीम	धोरी	सुधी सुधीम
20.	फरीमन सिंह	धोरी	फरीमन सिंह
21.	अजीत कुमार	धोरी	AJIT
22.	मृगेंद्र कुमार	धोरी	मृगेंद्र कुमार
23.	अंबिका सिंह	धोरी	Ambika Singh
24.	वीरेंद्र प्रताप सिंह	धोरी	Virendra Singh
25.	सुधीम	धोरी	सुधीम
26.	ADITYA SINGH	COMPANY	Aditya Singh
27.	Ajvind Kumar	Company	Ajvind Kumar
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			